संख्या-18/2015/645/38-4-15-36 (विविध)/2015

प्रेषक,

उमा कान्त मिश्र,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 15 मई, 2015**

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 की वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दी गई वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष को पी0एल0ए0 में रखी धनराशि को आहरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1250/सम्प्रेक्षा/लो0आ0यो0/2014-15, दिनांक-08 मई, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-15/2015/460/38-4-15-11(बजट)/13, दिनांक-31 मार्च, 2015 द्वारा अनुदान संख्या-83 में वित्तीय वर्ष-2014-15 के लिए दी गई वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष जनपदों से अनाहरित धनराशि रू0-5110.848 लाख को सम्बन्धित जनपदों के पी0एल0ए0 में रखने की अनुमति प्रदान की गई थी । पी0एल0ए0 में रखी गई उक्त धनराशि में से रू0-4763.525 लाख (रूपये सैंतालीस करोड तिरसठ लाख बावन हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय करने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) आहरित की जा रही धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-20-02-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-925/दस-2015-231/2012, दिनांक-30 मार्च, 2015 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आहरित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य समक्ष प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात् ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि समय से प्रत्येक दशा में उपयोगित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) आहरित की जा रही धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(4) पी0एल0ए0 से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि की वास्तविक व्यय की आवश्यकता होगी।

(5) पी0एल0ए0 से आहरित की जाने वाली धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/योजना में नहीं किया जायेगा।

(6) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना के शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना के शतों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(8) आहरित की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक एवं जिले स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(9) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(10) वित्त नियंत्रक भुगतान से पूर्व बिल में अंकित धनराशि के सही होने की पुष्टि अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-464/दस-2015 दिनांक-15 मई, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-18/2015/645 (1)/38-4-15, तद्दिनांक ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबादद।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लख्नऊ ।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
4- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
5- संयुक्त विकास आयुक्त, लखनऊ ।
6- निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ ।
7- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
8- मुख्य/वारिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ।
10- सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
12- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
13- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
14- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in